[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 02/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि. (अ). केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में सा.का.नि. सं.798(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना की सारणी में, -

(i) क्रम सं. 5ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां तारीख 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“5ग.	कोई अध्याय	(क) सेलूलर मोबाइल फोनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए वाइब्रेटर मोटर/रिंगर	10%	1
		(ख) उपरोक्त (क) पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1
		(ग) उपरोक्त (ख) पर उल्लिखित पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या उप- पुर्जे	कुछ नहीं	1”;

(ii) क्रम सं. 6 के सामने स्तंभ (3) में मद (vi) का तारीख 1 अप्रैल, 2020 से लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 5ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां तारीख 1 अक्टूबर, 2020 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“5घ.	कोई अध्याय	(क) सेलूलर मोबाइल फोनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए डिस्प्ले असेंबली	10%	1
		(ख) उपरोक्त (क) पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे	कुछ नहीं	1
		(ग) उपरोक्त (ख) पर उल्लिखित पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या उप-पुर्जे	कुछ नहीं	1

5ङ	कोई अध्याय	(क) सेलूलर मोबाइल फोनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए टच पैनल/कवर ग्लास असेंबली (ख) उपरोक्त (क) पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे (ग) उपरोक्त (ख) पर उल्लिखित पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या उप-पुर्जे	10% कुछ नहीं कुछ नहीं	1 1 1";

(iv) क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का तारीख 1 अक्टूबर, 2020 से लोप किया जाएगा;

(v) क्रम सं. 7 के सामने स्तंभ (3) में मद (xxxi) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(xxxii) फिंगर प्रिंट रीडर/स्कैनर";

(vi) क्रम सं. 13 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर "चार्जर या पावर एडेप्टर के सिवाय, सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vii) क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"18.	8518 (8518 21 00, 8518 22 00, 8518 29 00 और 8518 30 00 के सिवाय)	सेलूलर मोबाइल फोनों के निम्नलिखित पुर्जों के सिवाय, सभी माल, अर्थात्:- (1) माइक्रोफोन; और (2) रिसीवर	10%	-";

(viii) क्रम. सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21.	8517 70 10	सेलूलर मोबाइल फोनों का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) ; परन्तु यह प्रविष्टि 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी (जब तक इसका पूर्व में प्रतिसंहरण, संशोधन या अधिक्रमण न किया गया हो)	10%	-
22.	8517 70 10	निम्नलिखित माल के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए), अर्थात्:- (क) बेस स्टेशन ; (ख) ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट उपस्कर ;	10%	-" ।

		(ग) पैकेट ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट या स्विच (पीओटीपी या पीओटीएस) के एक या एक से अधिक का संयोजन ; (घ) ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन) प्रोडक्ट ; (ङ) आईपी रेडियो; (च) सोफ्ट स्विचें और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) उपस्कर अर्थात् वीओआईपी फोन, मीडिया गेटवे, गेटवे कंट्रोलर्स और सेशन बार्डर कंट्रोलर्स नियंत्रक; (छ) कैरियर इथरनेट स्विच, पैकेट ट्रांसपोर्ट नोड (पीटीएन) प्रॉडक्ट, मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्विचिंग-ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल (एमपीएलएस-टीपी) प्रॉडक्ट; (ज) मल्टीपल इनपुट/मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) और लांग टर्म इवोल्यूशन (एलटीई) प्रॉडक्ट ।		

[फा. सं. 334/2/2020-टी.आर.यू.]

(गौरव सिंह)
उपसचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 57/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 798(अ) तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 24/2019-सीमाशुल्क, तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो सा.का.नि. सं. 481(अ) तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।